



स्मार्ट सिटीज मिशन और शहरी विकास में ऊर्जादङ्कता की भूमिका

प्रो (डॉ) शालीन सिंघल

इमर्सन सोशल स्प्लिन अध्ययन के निदेशक और नई दिल्ली के टेरी स्कूल ऑफ एड्युकेशन स्टडीज में प्रोफेसर।
ईमेल- shaleen.singhal@terisas.ac.in

2015 में शुरू किए गए भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) का लक्ष्य प्रभावी शहरी वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) और टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल बनाए रखना है। विश्व के कुल ग्रीन हाउस गैस (जीएसजी) उत्सर्जन का 50 से 60 प्रतिशत नगरों में ही होता है और इसीलिए ऊर्जा की किफायती सप्लाई और खपत के जरिये कार्बन की मात्रा कम रखने की बड़ी जरूरत है। कचरे का प्रभावी प्रबंधन ऊर्जा-दक्षता पर ही निर्भर रहता है क्योंकि इस प्रकार कचरा एकत्र करने, उसे प्रोसेस करने और उसके निपटान की प्रक्रियाओं में ऊर्जा की ज्यादा खपत को रोका या कम किया जा सकता है। उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) जैसे परम्परागत कार्यक्रमों की जगह उपभोक्ता केंद्रित कार्यक्रम अपनाने से ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित नीति का रास्ता खुलता है। इस लेख में एससीएम के माध्यम से चलाए जाने वाले ऊर्जा दक्षता उपायों पर ध्यान दिलाया गया है और इन उपायों को देशभर के विभिन्न शहरों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

वि

श के कुल ग्रीन हाउस गैस (जीएसजी) उत्सर्जन में से 50 से 60 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए बड़े शहर ही दोषी हैं और इसमें बचाव के लिए ऊर्जा की सप्लाई और खपत की प्रक्रिया को चुस्त और दक्ष बनाने और कार्बन की मात्रा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शहरीकरण के कारण ही भारत ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और ऊर्जा का 80 प्रतिशत उत्पादन परम्परागत संसाधनों से हो रहा है। देश में कुल कार्बन उत्सर्जन का करीब 70 प्रतिशत तो केवल कोयले पर आधारित बिजली-उत्पादन व्यवस्था की वजह से ही है।

सरकार इनकी शहरी परिवेश में आसानी से और कम लागत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्जा की कुशल प्रक्रियाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा दे रही है। भारत की राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घावधि कमउत्सर्जन विकास नीति में (एलटी-एलईडीसी) जलवायु परिवर्तन झेलने वाला और ऊर्जा दक्ष शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की व्यवस्था में ऊर्जा दक्षता की भूमिका बहुत अहम है और सूचना और संचार प्रणाली को सशक्त बनाकर शहर को और ज्यादा चुस्त या स्मार्ट बनाने में मदद मिलती है और इस प्रकार परिवार का व्यय कम करने और सेवा-सुविधाओं पर दबाव घटाने में भी मदद मिलती है तथा ऊर्जा की मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाए रखने और उत्सर्जन को कम से कम रखकर जलवायु परिवर्तन सहने योग्य बनाना भी संभव हो सकता है।

देश के त्वरित आर्थिक विस्तार और शहरीकरण को देखते हुए विजली की मांग 2030 तक बढ़कर दोगुनी हो जाने की संभावना है। शहरों में विजली की किफायती दामों पर सुनिश्चित व्यवस्था करना और अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखना विजली वितरण कंपनियों के लिए लगातार बढ़ती चुनौती है। मांग बढ़ने के कारण क्षमता बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है जिससे आर्थिक दबाव बढ़ जाता है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि

से सहनीय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए खपत कम से कम रखने, वितरण व्यवस्था का विस्तार करने और उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव लाने और ऊर्जा दक्षता तकनीकें अपनाने की बहुत ज़रूरत है।

2015 में शुरू किए गए भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य शहरों की प्रभावी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल कायम करना है। इस उद्देश्य के लिए किफायती आवास, टिकाऊ विकास, कचरा प्रबंधन और पानी-विजली की भरोसेमन्द व्यवस्था करके शहरों के जीवन-स्तर में सुधार लाने की योजना थी। इस मिशन ने ऊर्जा कुशलता पर ध्यान बढ़ाया है ताकि संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित हो सके और खर्चे तथा उत्पर्जन कम रखे जा सकें। इकोसिस्टम के अनुरूप पहले अपनाने और हरित बुनियादी सुविधाओं से शहरों में ऊर्जा की मांग के प्रबंधन को संतुलित रखा जा सकेगा। भारत में शहरीकरण को चुस्त और टिकाऊ बनाने के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग, लागतों में कमी लाने और अनुसंधान तथा परामर्श के माध्यम से शहरों में चार प्रमुख क्षेत्रों की व्यवस्था में चुस्ती जाने की ऊर्जा दक्षता नीतियां अपनाना ज़रूरी है।

ऊर्जा दक्षता इमारतें (निर्माण): निर्माण क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हो रही है और देश की कुल ऊर्जा खपत की एक-तिहाई खपत इसी क्षेत्र में होती है तथा अनुमान है कि आगामी बीस वर्षों में

जो इमारतें होंगी उनमें से 40 प्रतिशत का निर्माण तो अभी होना है। महानगरों और स्मार्ट सिटीज के भीतर और उनके आसपास वाणिज्यिक और आवासीय- दोनों प्रकार की इमारतों का निर्माण आगामी समय में बहुत सधनता से होगा। पुरानी होती जा रही इमारतों और नए निर्माणों के लिए भी ऊर्जा की मांग का सही प्रबंधन करना ज़रूरी है। अस्पतालों सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर (जिनमें देश की 14 प्रतिशत ऊर्जा खपत होती है) भी ऊर्जा दक्षता की दृष्टि से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित सभी मौजूदा इमारतों में हीटिंग, वेटलेशन और एयरकंडीशनिंग, लाइटिंग, पानी-सप्लाई और कचरा प्रबंधन की सुविधाएं जुटाकर तथा एयर फिल्टरेशन जैसे उपकरणों की दक्षता बढ़ाकर ऊर्जा की खपत में कमी लाई जा सकती है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएच) के तहत लक्षित नीतियों से ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता

स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा प्राप्त प्रमुख पहल और उपलब्धियां

सभी 100 स्नाइट शहरों में एकीकृत कमांड और नियन्त्रण के संचालित हैं, जो एआई, आईओटी और डेटा इनालिगेशन का उपयोग करके शहर के संचालन में सुधार कर रहे हैं।

34,000 से अधिक सौसाईटी के बनाए,
1,884 आपारक्षन ओवर वायरल और पायावाय
प्रतिवेत्ता एवं सांसारिक साक्षरता
सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

17,026 फिल्मोविएटर जल आपूर्ति प्रणालियों की
इकाईयां द्वारा नियन्त्रित हो रही हैं, जिससे
रियावाच और गैर-गैरजलन जल में कमी आई।



देकर अस्पताल अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए नए और पुराने पेशेवर लोगों की कार्यशक्तिमत्ता बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। राष्ट्रीय जलवायु-स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुशल प्रणालियां स्थापित करना बहुत आवश्यक है ताकि इनकी संचालन लागत कम की जा सके, इन्हे अधिक स्थिर बनाया जा सके और जलवायु के अनुरूप लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से सक्षम बन सके। एससोएम के अंतर्गत सभी स्मार्ट शहरों में लगभग 525 परियोजनाएं लगाई गई हैं जिनमें मुख्य रूप से ऊर्जा और हरित इमारतों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथा ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में हरित सुविधाएं लाने से ऊर्जा खपत का पर्यावरण पर प्रभाव कम करने में और मदद मिलेगी। गृह (समेकित निवास आकलन की हरित रेटिंग) और लीड (ऊर्जा और पर्यावरणीय डिजाइन में नेतृत्व) जैसे हरित निर्माण मानकों से निर्माण कार्यों में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। सभी शहरों में ऐसे उपायों और पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ऊर्जा-दक्ष जल प्रबंधन : सीएससीएफ 2.0 (जलवायु स्मार्ट सिटीज आकलन प्रारूप) ने शहरों को ऊर्जा की खपत कम रखने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से 'ऊर्जा-दक्ष जल प्रदाय' संकेतक लागू किए हैं तथा इस व्यवस्था से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और

लागत कम रखकर शहरी जल प्रणालियों को टिकाऊ, कुशल (दक्ष) और लाभकारी बनाया जा सकता है। निगरानी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण की स्वचालित व्यवस्था यानी स्कार्ड ऑटोमेशन के समन्वयन और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) की मदद से पौर्ण व्यवस्था का अधिकतम किफायती उपयोग करके स्मार्ट सिटीज में ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जा सकेगी। इस उद्देश्य के लिए नियमित ऊर्जा आडिट, सौर और सूक्ष्म-जलीय संसाधनों जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के समन्वयन, जल सप्लाई के जीर्ण ढांचों के पुनरुद्धार तथा हाइड्रोलिक मॉडलिंग अपनाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

फिर मांग प्रबंधन के लिए रीयल-टाइम मॉनीटरिंग जैसी तकनीक अपनाने और गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) की मात्रा कम करने के बास्ते पानी का लेखा-जोखा रखने के लिए बड़ी संख्या में मीटर लगाना और ऊर्जा तथा जल का अपव्यय रोकने की दृष्टि से पानी के दबाव पर निगाह रखना बहुत उपयोगी

सावित होगा। इन उपायों से दक्षतापूर्वक काम करने वाले जल सप्लाई नेटवर्क बनाए जा सकेंगे और जल-ऊर्जा गठबंधन भी मजबूत बन सकेंगा। उपचारित पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए आईओटी, एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों के जरिये डिजीटल समाधान खोजे जा सकेंगे।

स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा प्राप्त प्रमुख पहल और उपलब्धियां

- 66 वार्षिकालीन बचपित लक्ष्य के लिए नियन्त्रित जल राशि और वायरल एवं उपयोग करने वाले

- 1,740 फिल्मोविएटर, 713 फिल्मोविएटर एवं नेटवर्क से विभिन्न और वायरल जल का सुधार

- 9,433 भर्ती वायरलन, 41 फिल्मोविएटर, 112 फिल्मोविएटर और 352 हेल्प एंटीएस लिफ्ट और स्लिफ्ट संकेतक लागू की जा रही है।



तालिका 1 : शहरों में ऊर्जा-दक्षता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान के साथ नीति परिवेश में बदलाव


नीति/कार्यक्रम	वर्ष	जोर दिया गया
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (ईसी कानून)	2001 संशोधित 2010	ऊर्जा-दक्षता मानक निर्धारित करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा की उच्च खपत वाले उद्योगों का नियमन
राष्ट्रीय विस्तारित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईई)	2010	संचालन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) के माध्यम से और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों जैसी वित्तीय योजनाओं से उद्योगों की ऊर्जा-दक्षता बढ़ाना।
राष्ट्रीय टिकाऊ आवास मिशन (एनएमएसएच)	2010	टिकाऊ शहरी विकास, ऊर्जा-दक्ष इमारतों के निर्माण और शहरी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम)	2010	ग्रिड से जुड़े और ग्रिड से अलग संस्थानों को लक्षित करके सौर विजली उत्पादन बढ़ाना।
क्रियान्वयन, परिणाम और कारोबार (पीएटी)	2012	उद्योगों में ऊर्जा-दक्षता बढ़ाने के लिए बाजार-आधारित तंत्र।
राष्ट्रीय विजली गतिशीलता मिशन योजना (एनईएमएमपी)	2013	विजली चालित वाहनों को बढ़ावा देना जिनसे उत्सर्जन शून्य रहता है और वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कम हो जाता है।
स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)	2015	समन्वित प्रौद्योगिकियों और हरित बुनियादी सुविधाओं द्वारा ऊर्जा-दक्ष टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	2015	छोटे ग्रिडों के इस्तेमाल से भारत के विजली वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण करता है और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए ग्रिड को डी-कार्बनाइज करता है।
सभी के लिए किफायती एलईडी उपलब्ध कराके उन्नत ज्योति योजना (उजाला) लागू करना	2015	ऊर्जा की बचत वाली एलईडी लाइटे और उपकरणों के उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देना। घरों और विजनेस संस्थानों में विजली की खपत कम करना।
ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)	2017 (अपडेटिंग)	शहरी विकास को जलवायु बदलाव सहने योग्य बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक इमारतों के लिए ऊर्जा दक्षता मानक निर्धारित करना।
मसौदा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी)	2017	सभी को ऊर्जा पहुंच उपलब्ध कराना, फॉसिल ईंधन पर निर्भरता कम करना और कम कार्बन वाले विकास को बढ़ावा देना।
मसौदा राष्ट्रीय शोतन कार्य योजना (एनसीएपी)	2018	शोतन मांग को संभालना, कार्बन फुट प्रिंट कम करना, और ऊर्जा-दक्ष शोतन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच)	2019	पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन को सहने योग्य स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित व्यवस्था करना।
स्टील स्कैप (इस्पात छीजन) रीसाइकिलिंग नीति (एसएसआरपी)	2019	कार्बन उत्सर्जन रोकने और खनन के दुष्प्रभावों को कम रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में इस्पात की छीजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस्पात उद्योग को टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करना।

ऊर्जा-दक्ष कचरा प्रबंधन : प्रभावी कचरा प्रबंधन ऊर्जा दक्षता पर निर्भर करता है क्योंकि इससे कचरा इकट्ठा करने, उसे छांटने और उसका निपटान करने में होने वाली ऊर्जा की भारी खपत को कम किया जा सकता है। आईओटी, सेसर-आधारित मैकेनिज्म, जीपीएस नेविगेशन, रेडियो प्रीवेंसी आइडेटिफिकेशन

(आरएफआईडी) और डेटा प्रबंधन से कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत तेज और चुस्त हो जाती है क्योंकि शहरी जनसंख्या में तीन से साढ़े तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ही शहरी कचरे की मात्रा में भी 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होने से 2050 तक कुल 436 एमएमटी कचरा निकलने लगेगा। रासायनिक विश्लेषण के

औद्योगिक स्मार्ट शहरों की भव्य माला

- कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गतिशीलता विकास कार्बन के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी।
- 28,602 करोड़ रुपये का अनुबंधित निवाय
- वृत्तिशालीता पर 10 शहरों में फैलाएंगे और 6 प्रणव गतिशीलता पर उत्पादकता रूप से बढ़ावाना होगी।



- | | |
|--------------------------------------|---|
| • उत्तराखण्ड में गृहणीय | • बिहार में नवा |
| • पंजाब में उत्तराखण्ड-पर्यावरण | • नेहरूनगर में जलवायिका |
| • झज्जराट में शोषण | • अंधेर प्रदेश में ओरेंजिल शोषण कार्यपाली |
| • कर्नाटक में चलावट | • उत्तराखण्ड में जलवायिका-वाटी |
| • उत्तर प्रदेश में आया और उत्तराखण्ड | |



साथ एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से कचरे के पायरोलाइसिस में सुधार किया जा सकेगा। कचरे को लाने-ले जाने (होने) में एआई के समन्वय से उसकी दूरी कम की जा सकती है जिससे होने की प्रक्रिया में होने वाली ऊर्जा खपत कम से कम रखी जा सकती है। कचरे के उपचार के लिए मशीनी जैविक उपचार और अपशिष्ट-आधारित ईंधन प्रणालियां अपनाने से हानिकारक या खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान किया जा सकता है। सैनिटरी और वायोरिएक्टर लैंडफिल्स तथा सौर समन्वयन जैसे तरीके अपनाकर लागत कम रखने के साथ ही कचरे से ऊर्जा बनाई जा सकती है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे से नई सामग्री बनाने की अपेक्षा इस्पात, लकड़ी और कंकरीट जैसी बच्ची-खुची सामग्री को रीसाइकिल करके उन्हें दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने से ऊर्जा की खपत को काफी कम रखा जा सकता है। निर्माण के दौरान भी मॉड्यूलर डिजाइन और सामग्री योजना में सावधानी बरतने से ऊर्जा की बचत होती है तथा इस प्रकार शहरों में ऊर्जा की कम खपत से कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है।

ऊर्जा-दक्ष परिवहन : भारत का परिवहन उद्योग ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र है और इसमें 94 एमटीओई (ऊर्जा इस्तेमाल की 18 प्रतिशत) ऊर्जा खपत होती है तथा इससे कार्बन उत्सर्जन 14 प्रतिशत होता है। सौर-ऊर्जा पर आधारित बुनियादी सुविधाओं जैसे मल्टी मॉड्यूलर नेटवर्कों और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करके समेकित और नवीकरणीय परिवहन इकोसिस्टम अपनाया जा रहा है। ऊर्जा-

दक्ष शहरी गतिशीलता के साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उत्सर्जन कम रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने, गैर-मोटर चालित उपकरण इस्तेमाल करने और सशक्त चार्जिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के बास्ते कृत्रिम मेधा (एआई) इस्तेमाल की जाती है और शहरों में ऊर्जा की मांग को कम रखने के ऊर्जा दक्षता उपाय लागू किए जाते हैं। ड्रोन, राइड-शेयरिंग (मिलकर बाहन इस्तेमाल करना), लचीली यातायात प्रणालियां और सार्वजनिक डिलीवरी वाहनों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और ऊर्जा की खपत पर अंकुश भी लगाया जा सकता है।

नीति और नियमन प्रारूप का विकास मार्ग

शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम लागू करके ऊर्जा-दक्ष समाधानों का समन्वयन किया जाता है। भारत के शहरों में चलाई जा रही कुछ प्रमुख नीतिगत पहल नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई हैं:

उद्योग और उपभोक्ता आधारित कार्यक्रमों के विस्तार को दिशा में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) जैसे परंपरागत प्राञ्छियों में बदलाव से ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित नीति का रास्ता बनता है। शहरों में ऊर्जा-दक्षता आयामों और स्थिरता, जलवायु लचीलापन और कार्बन उत्सर्जन कम रखने पर जोर दिया जाता है।

शहरी विकास क्षेत्र में उत्सर्जन की मात्रा कम से कम रखने के उद्देश्य से भारत में लगातार ऊर्जा की मांग के प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार और ऊर्जा-दक्षता को अधिकतम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रणालियों के आधार पर ऊर्जा-दक्षता बढ़ाने और खासकर स्मार्ट सिटीज के उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में कुछ अहम आयामों पर अधिक जोर दिया जा रहा है।


नीति और प्रशासन के लिए ज्ञान का सह-उत्पादन

स्मार्ट शहरों में विचारकों (थिंक टैकों), शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों, स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ), नियामक और विधायी निकायों, जनसुविधा प्रदाताओं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और फंडिंग (वित्त) संस्थानों, तथा शहरी आयोजन एवं विकास संगठनों जैसे प्रमुख हिताधियों के माध्यम से ऊर्जा-दक्षता के लिए निरन्तर विकसित होने वाली ज्ञान-प्रणाली तैयार करने की सह-उत्पादन आधारित व्यवस्था अपनाने की जरूरत रहेगी। एनएपीसीसी और एनएमईई जैसी राष्ट्रीय पहलों के लक्ष्य शहर या क्षेत्र के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए। स्थानीय सरकारी सुविधाओं द्वारा नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा की खरीद और शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत क्षमता बढ़ाने से ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रभावी विकेंद्रित प्रशासन-व्यवस्था बनाने

आौद्योगिक स्मार्ट शहरों की भव्य माला

प्रमुख विद्योवलाएँ

- डीपोलोन बोर्ड 2020 नक्का 2 दिवारियां ढाईव का निर्माण संस्थान करने के लिए उत्तरांश के नक्का में खाली छारोंहैं।
 - गढ़वाल के वीजिकल प्रदेशों के उत्तर वीजिकल घट्टांश के नक्का में विभिन्न विकास जगह, जिनमें 'बाहुन-पर्वत' और 'बाहुन-द्वारा' व्यापारालयों द्वारा आधार पाया जाता है यहां पर्याप्त विवरण दिये गए हैं।
 - वीजिकल प्रदेशों में बड़ी शक्ति व्यवस्थाओं का उत्तरांश विभिन्न रूपों, विभिन्न जौहों, पालांशों और गोंदों परीक्षण व्यापक रूप से चल रहा है।
 - उत्तरांश व्यापक के लिए दैरें विभिन्न भूमि का उपयोग, विभिन्न पालं और अलांशीषी विभिन्नों के लिए वात्स में विभिन्न व्यापार व्यवस्था बनाने का उद्देश्य।
 - विभिन्न डीपोलोन बोर्ड के व्यापक में : विभिन्न इन्डस्ट्रीज़ और विभिन्न व्यापार व्यवस्थाएँ जैसे व्यापक।



ऊर्जा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण वित्त व्यवस्था: शहरी विकास में ऊर्जा-दक्षता बढ़ाने के लिए वित्तीय साधनों में नवाचार और भिन्नित वित्तीय तंत्र की ज़रूरत होती है ताकि फंडिंग की चुनौतियों से निपटा जा सके और स्मार्ट इनजी यहलों को बढ़ावा मिले। एनएमईई जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को ऊर्जा-दक्षता वित्तीय साधन मंच (ईईईपी), ऊर्जा-दक्षता उद्यम पूँजी कोष (वीसीएफईई), ऊर्जा-दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी कोष (पीआरजीएफईई), और हरित विकास इकाई कोष (जीजीईएफ) जैसे कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और अक्षय ऊर्जा तथा स्वच्छ आवाजाही से जुड़ी सरकारी और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में आर्थिक जोखिम कम हो जाएगा। टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के वित्तीय साधनों-जैसे हरित बांड और निष्पादन, उत्पादक और व्यापार (पीएटी) योजना जैसे बाजार-आधारित तंत्रों पर फिर से ध्यान दिया जा सकता है ताकि ऊर्जा की उच्च खपत वाले क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा सके। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से इन तंत्रों को मजबूत बनाकर शहरों में स्मार्ट ग्रिड से लेकर उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में ऊर्जा की खपत कम रखी जा सके।

निष्पादन आकलन का लक्ष्य तय करना : नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित निष्पादन लक्ष्य, बैचमार्क और उत्पादन आवश्यक है। इन नीतियों में कार्यवाही-केंद्रित (सुविधा उन्नयन और जागरुकता अभियान) और संख्यात्मक लक्ष्य (जैसे कर्जा प्रयोग, प्रतिशत अक्षय कर्जा उपयोग और जीएचजी उत्सर्जन में कमी) शामिल होंगे।

ऐसा दीर्घावधि निष्पादन ढांचा विकसित हो जिसमें ऊर्जा की कम खपत वाली आस्तियों का निर्माण हो सके तथा लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्रगति पर निशाह रखी जाए और फिर नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार की जाए। इस सब कार्यों का जिम्मा साफ तय किया जाना चाहिए। इस ढांचे में सशक्त डेटाबेस प्रबंधन, एमआईएस और क्षेत्र-अनकल वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल रहेंगी।

इस लेख में स्मार्ट सिटीज मिशन-एससीएम के माध्यम से कर्जा की खपत कम करने के उपायों का संज्ञान लिया गया है जिन्हे देशभर के शहरों में बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए। सक्षम नीति और नियामक परिवेशों के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकियों के बीच समन्वयन और नवाचार आधारित वित्तीय तंत्रों के बीच तालमेल रखकर भारत कर्जा की कम खपत बाले स्मार्ट शहरों के विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकता है। □

(सह-लेखक पुलकित श्रोत्री नई दिल्ली-स्थित टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज में ऊर्जा सलाहकार हैं। ईमेल: pulkit.shrotri@terisas.ac.in)